



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH अनुबन्ध-पत्र/वचन-पत्र

CR 706272

- मैं/हम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जिसे एतद्वारा 'प्रदायक' (सप्लायर) कहा गया है से निम्नलिखित नू-गुहादि पर, अपने संस्थापन (इन्स्टालेशन) कोप्रक्रिया/प्रक्रियाओं के सम्बन्ध का प्रारम्भ होने के दिनाक से दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के निर्मितअश्य शक्ति से अनाधिक विचुत शक्ति लेने के लिए सहमत हूँ/है। उपर्युक्त दो वर्ष की न्यूनतम अवधि समाप्त होने के पश्चात ऐसे वचन वर्षानुवर्ष यहां निर्दित शर्तों के आधार पर तब तक जारी रखा गया समझा जायेगा, जब तक कि दोनों में से किसी ओर से कम से कम 30 दिन की पूर्व लिखित सूचना देकर उसको समाप्त न कर दिया गया हो।
- मैं/हम, एतद्वारा इस समय प्रबलित अथवा प्रदायक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित उपर्युक्त सम्बन्ध के लिए नियम द्वारा नियम दरों पर तथा सम्बन्ध की शर्तों से अनुबन्धित अन्य परिव्ययों का भी नुगतान करने के लिए सहमत हूँ/है।
- मैं/हम, एतद्वारा प्रदायक के पास आवश्यक प्रतिमूर्ति बनाराणी (सिवयोरिटी एमाउण्ट) जमा करने के लिए सहमत हूँ/है और कोई भी अद्यतर प्रतिमूर्ति जब कभी भी प्रदायक द्वारा मार्गी जायेगी, जमा करने के लिए सहमत हूँ/है।
- मैं/हमारे सम्बन्ध में प्रवृत्त टैशिफ के अनुसार यथानुबद्ध न्यूनतम प्रत्यामूर्ति (गारन्टी परिव्यय चार्ज) में जो भी कभी यदि कोई होगा, वह वास्तविक उपभोग की कटौती करने के उपरान्त जिसमें से वह छूट या सरचार्ज निकाल दिया जायेगा जो किसी बिल के देशी से मुगतान करने के कारण अदेय हो, नुगतान की जायेगी।
- मैं/हम, प्रदायक के स्टोर से कनेक्शन के स्थल तक स्वतीय अपनी लागत पर सामान को ले जाने के लिए वचनबद्ध होता हूँ/होते हैं। वचनबद्ध नहीं हैं/नहीं होते हैं।
- मैं/हम, अपनी लागत पर खामों (पोल्स) के संस्थापन (इन्स्टालेशन) के लिए अपेक्षित सीमेंट की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध होता हूँ/वचनबद्ध होते हैं, वचनबद्ध नहीं होते हैं।
- मैं/हम, एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्बन्ध की दरों वौर शर्तों गो मैने/हमने पढ़ लिया है। मैं एतद्वारा अद्यतर अनुबन्ध करता हूँ/करते हैं कि इस प्रवृत्त सम्बन्ध की शर्तों का पालन करेंगा/करेंगे तथा उसमें होने वाले पश्चातवर्ती परिष्कारों का अथवा परिवर्तनों का भी पालन करेंगा/करेंगे तथा यथाप्रवृत्त अथवा समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 तदर्गत निर्मित नियमावली, विनियमावली, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 तथा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कॉल्स 1956 से आबद्ध हैंगा/होंगे।

मैं एतद्वारा अद्यतर अनुबन्ध करता हूँ कि मैं निम्नलिखित उपनुबन्धों (स्टीम्पलसन्स) का पालन करेंगा।

- (1) सर्विस कनेक्शन एवं अन्य नियारित व्यय आदि की धनराशि जमा करना।
- (2) अन्य वाहित औपचारिकताये पूरी करना।

उपनोक्ता का हस्ताक्षर
पूरा नाम श्री - इलाला कुमार मैची

पिता का नाम श्री कमला मैची

ग्राम पोस्ट

थाना गिरोडीजारी जिला अस्सी

विधा अफसोस लोड अमृतसर जूनियर एड्यूकेशन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH/ वचनबद्ध होते हैं कि समय विषेष पर प्रचलित किसी विवाह के 78623

वचन-पत्र के निष्पादन के निर्मित अपेक्षित स्टाम्पों तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क, यदि कोई हो भुगतान करेंगा/करेगे।
टिप्पणी— मैंने सम्मरण की दरों, शर्तों तथा प्रतिबन्धों को सुसंगतरूप से प्राप्त कर लिया है।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

पुरा नाम— श्री— कलवंत कुमार अधिकारी

पिता का नाम श्री अमलाधिकारी

ग्राम कुरुक्षेत्र पोस्ट

थाना विठ्ठलपेटी जिला मिट्टीपाड़ी

उपभोक्ता का साक्षी
पूरा नाम तथा पता

हस्ताक्षर

पुरा नाम उम्र

पिता का नाम श्री

ग्राम पोस्ट

थाना विठ्ठलपेटी जिला मिट्टीपाड़ी

हस्ताक्षर

पुरा नाम उम्र

पिता का नाम श्री

ग्राम पोस्ट

थाना विठ्ठलपेटी जिला मिट्टीपाड़ी

1. प्रतिभूति की धनराशि का विवरण

(1) रसीद संख्या

(2) दिनांक

(3) धनराशि

(क) अंकों में

(ख) शब्दों में

2. सम्मरण प्रारम्भ होने का दिनांक

हस्ताक्षर
अनुबन्ध लिपिक

हस्ताक्षर
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड—।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण पत्र

ग्राम से अनुशासित (लाइसेन्स) प्राप्त ठीकेदार द्वारा भरा जायेगा।

नाम - ३५१ - बजालुकुण्डली

ठी० - ३५१ - कामोदी गाँव

ग्रा० - दुर्घट - तिरुप्पति - राजगढ़

तथा -

वाय की प्रणाली -

३५१ श्रीमृ. मिलीनामुष श्रीकाष्ठ हेतु

जों (फेजों की संख्या) २०१२०१३० किलो (०००००५)

सी० / डी०सी० -

३५१ R.P.L. एच

ए का प्रयोजन

पर्टिंग का प्रकार (बैटन कन्डयूल इत्यादि) DIC ४०१३०

संस्थापन की विशिष्टियाँ :-

लोकल वापरिय

220/230 बोल्ट्स						400/440 बोल्ट्स				उच्च / अति उच्च बोल्टता संस्थापन	
फेज-1		फेज-2		फेज-3		फेज-1		फेज-2		फेज-3	
संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता
I-	(1) बत्तियों के घाइंट (2) पंखों के घाइंट (3) प्लग के घाइंट (4) मोटरेंजनरेटर्स (पूर्ण व्यौदा दिया जाये)	३५१.० - ८१० = ४५०.० - Motor ६०५५२ = १२० किलो २२० १२० किलो DIC ४०१३०									
योग		३५१.० - ८१० = ४५०.० - Motor १४४									
II-	अन्य उपकरण (पूरा व्यौदा दिया जाय)	३५१.० - Motor १४४									
	(1) (2). कुल संयोजित भार किलोमीटर में - अधिकतम् कर्नट मांग, एम्पियर में - (कुल संयोजित भार के आधार पर)										